राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1114   दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसख्या 21,895 है। यहां जनसंख्या घनत्व 274 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 30 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप अधीक्षक पुलिस, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, कार्यालय सहायक अभियन्ता जोविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ग्रिड सब स्टेशन एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में भोपालगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका भोपालगढ जिला जोधपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत भोपालगढ एवं बासनी थेडा जिला जोधपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका भोपालगढ जिला जोधपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1115-1175 दिनांकः 25/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये ज़ाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/1176 दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली, ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद, दोहली, सरहेटा, बाघोडी, यादव नगर, ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी, ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़, ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया, पिपरोली, गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 33,194 है। यहां जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 20 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, राजकीय महाविद्यालय, वरिष्ठ सिविल न्यायालय व कनिष्ठ खण्ड सिविल न्यायालय, रेल्वे स्टेशन, अधिशाषी अभियन्ता जेवीविएनएल, सहायक अभियन्ता पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में रामगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली, ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद, दोहली, सरहेटा, बाघोडी, यादव नगर, ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी, ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़, ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया, पिपरोली, गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका रामगढ जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत रामगढ का राजस्व ग्राम रामगढ, ग्राम पंचायत खेडी का राजस्व ग्राम खेडी एवं डोली, ग्राम पंचायत दोहली का राजस्व ग्राम बर्डोद, दोहली, सरहेटा, बाघोडी, यादव नगर, ग्राम पंचायत ललावंडी का राजस्व ग्राम पूठी, ग्राम पंचायत निवाली का राजस्व ग्राम निवाली एवं सोनागढ़, ग्राम पंचायत पिपरोली का राजस्व ग्राम नंगला बलेया, पिपरोली, गोहा एवं चोकी सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका रामगढ जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1177-1237 दिनांक: 25/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/1238 दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली, ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण, ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा, खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसख्या 24,273 है। यहां जनसंख्या घनत्व 431 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 10 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, कृषि उपज मण्डी एवं वेयरहाउस (भण्डार गृह), ग्रिड सब–स्टेशन, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, पीएचईडी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में सुल्तानपुर को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली, ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण, ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा, खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका सुल्तानपुर जिला कोटा के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत सुल्तानपुर के राजस्व ग्राम सुल्तानपुर, ग्राम पंचायत खेडली तंवरान का राजस्व ग्राम झाटोली, ग्राम पंचायत तोरण का राजस्व ग्राम तोरण, ग्राम पंचायत नोताडा का राजस्व ग्राम नोताडा, खण्डगांव तथा ग्राम पंचायत किशोरपुरा का राजस्व ग्राम नापाहैडा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला कोटा की वर्तमान सीमायें नगरपालिका सुल्तानपुर जिला कोटा की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1235-1291 दिनांकः 25/03/2022
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1300 दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 33,031 है। यहां जनसंख्या घनत्व 816 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 44 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय, क्षेत्रीय वन अधिकारी, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जवाहर नवोदय आवासीय विद्यालय भी स्थित है।

माननीय' मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में पावटा को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा जिला जयपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत पावटा के राजस्व ग्राम पावटा एवं शिवनगर, ग्राम पंचायत प्रागपुरा के राजस्व ग्राम प्रागपुरा तथा ग्राम पंचायत कुनेड के ग्राम कुनेड, ललाना सम्पूर्ण जिला जयपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका पावटा–प्रागपुरा जिला जयपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 1301 – 1360 दिनांकः 25/03/2021
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शांसन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1361 दिनांकः 25/3/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 13,397 है। यहां जनसंख्या घनत्व 212 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 12 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है। इस क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय आदि, राजकीय महाविद्यालय, सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेल्वे स्टेशन निर्माणाधीन, सहायक अभियन्ता जेविविएनएल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है। यह क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय भी है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में बामनवास को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका बामनवास जिला सवाईमाधोपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। राजस्व ग्राम बामनवास पट्टी कला एवं बामनवास पट्टी खुर्द जिला सवाईमाधोपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका बामनवास जिला सवाईमाधोपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1362-1422 दिनांकः 25/3/20

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/संचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/1423

दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। लक्ष्मणगढ (पूर्ण ग्राम पंचायत), राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसंख्या 26,103 है। यहां जनसंख्या घनत्व 576 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 20 प्रतिशत है।

उक्त क्षेत्र एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं स्टेट हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में पुलिस थाना, उपखण्ड कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय, पंचायत समिति कार्यालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, एसीजेएम न्यायालय, दूरसंचार भवन, कृषि उपज मण्डी एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान हैं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में लक्ष्मणगढ को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करता है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार लक्ष्मणगढ (पूर्ण ग्राम पंचायत), राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर को एतद्द्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर के नाम से संबोधित किया जायेगा। लक्ष्मणगढ (पूर्ण ग्राम पंचायत), राजस्व ग्राम मौजपुर, बहरपुरी, सजनपुरी, खेडली लोधा, सैमला, लीली एवं सूरजगढ सम्पूर्ण क्षेत्र जिला अलवर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका लक्ष्मणगढ जिला अलवर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1424-1484 दिनांकः 25/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 1485 दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की वर्ष 2011 की जनगणना में जनंसख्या 16,629 है। यहां जनसंख्या घनत्व 436 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 33 प्रतिशत है।

साथ ही ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर व्यवसायिक एवं औद्योगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। इस क्षेत्र का शहरीकरण तीव्र गति से हो रहा है एवं नेशनल हाईवे पर स्थित होने से यातायात की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पुलिस थाना, उप तहसील कार्यालय, कृषि उपज मण्डी सब–यार्ड, हवाई पट्टी एवं मिलिट्री स्टेशन, सहायक अभियन्ता जेडीविविएनएल एवं अन्य नागरिक सुविधाएं भी विद्यमान है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में ग्राम पंचायत लालगढ जाटान को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पचांयत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका लालगढ जाटान जिला श्रीगंगानगर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/ 1486-1546   दिनांकः 25/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक् किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

MI NOTE 9 PRO MAX
AD CAMERA

7/3/20

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)( )डीएलबी/20/1547 दिनांकः 25/03/2021

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी स्थानीय क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा मानक निर्धारित किये गये है। ग्राम पंचायत उच्चैन, गहलऊ, खरैरा, मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर को नगरपालिका बनाये जाने के उद्देश्य से विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा निर्धारित मानको के प्रकाश में परीक्षण कर विचार किया गया। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र की वर्ष 2011 की जनगणना में जनसख्या 22,445 है। यहां जनसंख्या घनत्व 540 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी. और कृषि से भिन्न क्रियाकलापों में नियोजन का भाग 25 प्रतिशत है।

ग्राम पंचायत उच्चैन जिला भरतपुर व्यवसायिक एवं औधोगिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण एवं विकसित स्थान है। उक्त क्षेत्र में पुलिस थाना, पंचायत समिति कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील कार्यालय आदि कार्यालय, ग्रिड सब स्टेशन, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता पीएचईडी एवं अन्य नागरिक सुविधाए भी विधमान है। बजट घोषणा वर्ष 2021–22 में उच्चैन मुख्यालय पर रिको इन्डस्ट्रीयल ऐरिया, उपखण्ड कार्यालय, मुन्सिफ कोर्ट, कृषि उपज मण्डी की घोषणा की गई है।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020–21 की बजट घोषणा में उच्चैन को नगरपालिका बनाये जाने की घोषणा की गई है। उक्त क्षेत्र विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 द्वारा नगरपालिका बनाये जाने हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करती है। इस संबंध में मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक 42/2021 दिनांक 18 मार्च, 2021 द्वारा भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप–धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ग्राम पंचायत उच्चैन, गहलऊ, खरैरा, मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर को एतदद्वारा चतुर्थ श्रेणी की नगरपालिका घोषित करती है। इस क्षेत्र को नगरपालिका उच्चैन जिला भरतपुर के नाम से संबोधित किया जायेगा। ग्राम पंचायत उच्चैन, गहलऊ, खरैरा, मुढेंरा सम्पूर्ण क्षेत्र जिला भरतपुर की वर्तमान सीमायें नगरपालिका उच्चैन जिला भरतपुर की सीमायें मानी जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

SHOT ON REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA

क्रमांकः प.10(न.पा.)(गठन)(   )डीएलबी/20/ 1548-1610   दिनांकः 25/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
02. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
03. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
04. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
05. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर।
06. अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर (स्वायत्त शासन विभाग)।
07. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
08. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
09. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
10. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उपरोक्त नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत को पंचायत सीमा से पृथक किये जाने के संबंध में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करावे एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच/सचिव को अधिसूचना की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवावें।
12. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
15. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
16. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
17. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
18. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
19. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
20. सुरक्षित पत्रावली।

21. [illegible] को भेजकर निवेदन है कि ग्राम पंचायत से नवगठित नगरपालिका के गठन की अधिसूचना [illegible] विभागीय वेबसाइट पर [illegible] कराना [illegible] करावें।

[signature]
25/3/2021

[signature]
(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

REDMI NOTE 9 PRO MAX
AI QUAD CAMERA